सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 3610/जी.1646/2011/1-सूअप्र

प्रति,

रायपुर, दिनांक 30/12/2 2011

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय :- अपील आवेदन पत्र में जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पद एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित के संबंधी।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा शासन को अवगत कराया गया है कि आयोग में प्राप्त होने वाले अपील/शिकायत प्रकरणों में अपीलार्थियों/शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रायः जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पते उल्लेख नहीं किया जाता है, जिसके कारण ऐसे प्रकरणों में आयोग को, विलम्ब से जानकारी देने अथवा भ्रमपूर्ण/अपूर्ण जानकारी देने लिए, जिम्मेदार जनसूचना अधिकारी का निर्धारण करने में भ्रम की स्थिति निर्मित होती है एवं इसके फलस्वरूप प्रकरणों के निराक में अनावश्यक विलम्ब होता है। आयोग ने इस संबंध में शासन स्तर से समुचित निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।

2/ इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत राज्य शासन द्वारा बनाए गए छत्तीस सूचना का अधिकार(अपील) नियम, 2006 के नियम 3(2) एवं 4(2) में विधिक प्रावधान किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं :-

नियम 3(2) - इस नियम में प्रथम अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता तथा जनसूचना अधिकारी का नाम तथा पद का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने का प्रावधान है।

नियम 4(2) - इस नियम में द्वितीय अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता, प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिसके आदेश के वि द्वितीय अपील की जा रही है, उसका नाम तथा पदनाम और जिस आदेश के विरूद्ध अपील की जा रही हो, उस आ की सत्यापित प्रति देने का प्रावधान है।

3/ कृपया उपरोक्त विधिक प्रावधानों से आपके विभाग/कार्यालय में नियुक्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अवगत कराएं निर्देशित करें कि वे यह सुनिश्चित करें कि अपीलीर्थी द्वारा उन्हें प्रस्तुत किए गए प्रथम अपील के ज्ञापन में जनसूचना अधिकारी का न एवं पदनाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए।

4/ उपरोक्त के अलावा कृपया यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के

के बाहर उनका नाम एवं पदनाम की पट्टिका तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् कार्यालय में सूचना पटल पर भी उनके नाम एवं पदनाम की जानकारी दर्शायी जाए।

5/ **समस्त** सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश अथवा पत्राचारों में उनका नाम एवं पदनाम आवश्यक रूप से अंकित किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

6/ **कृपया** उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए ।

सही
(के0आर0मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
एवं जनसूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्टां. क्र. 3611/जी.1646/2011/1-सूअप्र, रायपुर, दिनांक 30/12/2011
प्रतिलिपि :-

1. **महामहिम** राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. **सचिव,** छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
3. **रजिस्ट्रार** छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
4. **आवासीय** आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
5. **सचिव,** राजस्व मण्डल, बिलासपुर।
6. **सचिव,** छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर उनके पत्र क्रमांक 1093/स्था/11/छगरासूआ, दिनांक 3.10.2011 के संदर्भ में ।
7. **संचालक,** जनसंपर्क संचालनालय रायपुर ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

सही
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
एवं जनसूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग